अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 373 / 2013

जगदेव मिस्त्री एवं अन्य –– अपीलार्थीगण

वनाम

भुवनेश्वर साह एवं अन्य –– रेस्पोण्डेन्ट्स

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण के द्वारा निम्न न्यायालय भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज, के द्वारा भूमि विवाद वाद संख्याः 231 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांकः 30.01.2013 ई० के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में यह कथन करते हैं कि विवाद का मूल विषय नया खेसरा संख्या 1881 का सम्पूर्ण रकवा एवं नया खेसरा 1880 का आधा रकवा खेसराः 1122 का अंश है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में यह भी कथन करते है कि निम्न न्यायालय में अपीलार्थी प्रतिवादी थे, वो विवादी भूमि नया खेसरा 1880 एवं 1881, पुराना खेसराः 1122 अन्दर पुराना खाता संख्याः 1045, रकवाः 2 कट्ठा 10 धुर भूमि अपीलार्थी ने वर्ष 1973 में खतियानी रैयत हलेश्वर प्रसाद सिंह से खरीद किया है तथा उक्त भूमि खरीदगी से पूर्व से ही भू–स्वामी की सहमति से अपीलार्थी के देख–रेख में चली आ रही थी वो भू–स्वामी की सहमति से अपीलार्थी ने खरीदगी से बहुत पूर्व से ही उसपर घर, दरवाजा, गोहाल, बैठका वो सहन कायम कर शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे थे वो खरीदगी के पश्चात उक्त भूमि का दाखिल–खारिज करवाकर बिहार सरकार के सिरिस्ते में जमाबंदी कायम करवाकर अद्यतन राजस्व रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। अंचल अमीन के प्रतिवेदन में स्थिति स्पष्ट किया गया है कि नया खेसरा 1880 का आधा रकवा एवं नया खेसराः 1881 का सम्पूर्ण रकवा पुराना खेसराः 1122 का अंश है जिस प्रतिवेदन को निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया था जिसका अवलोकन निम्न न्यायालय द्वारा किया ही नहीं गया। निम्न न्यायालय का आदेश रेस्पोण्डेन्ट / वादी मनगढंत

एवं झूठे तथ्यों पर आधारित आदेश है जो रद्द करने योग्य है।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत अपील को विलम्ब से दाखिल किया गया है, परन्तु अपने विलम्ब क्षान्ति का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिस वजह से इस अपील वाद को ग्रहण करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। ***चूँकि यह वाद hopelessely Time barred है जिसके समर्थन में अपीलार्थी द्वारा कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है और न ही इस सन्दर्भ में कोई तथ्यात्मक बहस किया गया है।***

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 2009 एवं 2010 में निहित प्रावधानों के तहत वाद कालबाधित है एवं इस न्यायालय में पोषनीय नहीं है। अस्तु अपील वाद नामांकन विन्दु पर खारिज की जाती है। इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा